[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

सं. 33/2016-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.)

नई दिल्ली, दिनांक 26 जुलाई, 2016

सा.का.नि. (अ),- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 की उपधारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतदद्वारा, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 7113 के अंतर्गत आने वाले उत्पाद शुल्क वाली वस्तुओं, जो कि नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट हैं, के टैरिफ मूल्य को उक्त सारणी के कॉलम (3) में दी गई प्रविष्टि के अनुसार विनिर्दिष्ट करती है, यथा -

सारणी

क्र.सं.	उत्पाद शुल्क वाली वस्तुओं का विवरण	टैरिफ मूल्य
(1)	(2)	(3)
1.	आभूषण की वस्तुएं या आभूषण की वस्तुओं के भाग या दोनों (उनसे भिन्न जो कि खुदरा ग्राहक द्वारा दिए गए कीमती धातुओं से विनिर्मित किए गए हों)।	वह मूल्य जिस पर कि ऐसी उत्पाद शुल्क वाली वस्तुओं को पंजीकृत परिसरों से या केन्द्रीयकृत पंजीकृत परिसरों से, जिसमें कि ऐसे पंजीकृत परिसरों के शाखाएं भी आती हैं, विनिर्माता या प्रधान विनिर्माता द्वारा जैसी भी स्थिति हो, पहली बार बेचा जाता है (एतश्मिन पश्चात जिसे इस अधिसूचना में ''प्रथम बिक्री मूल्य'' से संदर्भित किया गया है)।
2.	आभूषण की वस्तुएं या आभूषण की वस्तुओं के भाग या दोनों जो कि खुदरा ग्राहक द्वारा लाये गये	वह मूल्य जो की निम्नलिखित का योग हो i. विनिर्माता या प्रधान विनिर्माता, जैसी भी स्थिति हो के द्वारा ऐसे आभूषणों को

	कीमती धातुओं से विनिर्मित की गई हों।	बनाने में लगायी गयी अतिरिक्त सामग्री की कीमत; ii. विनिर्माता या प्रधान विनिर्माता, जैसी भी स्थिति हो के द्वारा खुदरा ग्राहकों से वसूले गए श्रम प्रभार; और iii. खुदरा ग्राहक द्वारा लाये गये कीमती धातु के मूल्य।

स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए आभूषण की वस्तुओं या आभूषण की वस्तुओं के भाग या दोनों के विनिर्माता या प्रधान विनिर्माता, जैसी भी स्थिति हो के पंजीकृत परिषद या केन्द्रीय पंजीकृत परिषद या ऐसे केन्द्रीयकृत पंजीकृत परिषद की शाखाओं जहां से कि ऐसी वस्तुओं का प्रथम बार बिक्री होती है, से अभिप्राय ऐसे स्थान से है जहां कि ऐसी आभूषण की वस्तुओं या आभूषण की वस्तुओं के भाग या दोनों को हटाया जाता है और इनके हटाने के समय के बारे में भी तदनुसार ऐसा ही अर्थ लगाया जाएगा।

(फा. सं. 354/25/2016-टीआरयू भाग-1)

(अनुराग सहगल)
अवर सचिव भारत सरकार